मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३)की द्वितीय अनुसूची में,—

(एक) भाग एक में, अनुक्रमांक ६ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा और बैतूल.";

(दो) भाग दो में, अनुक्रमांक २ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"२.	राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की क्षेत्रीय अधिकारिता में, जबलपुर संभाग के सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा तथा नर्मदापुरम् संभाग का एक जिला बैतूल सम्मिलित है. नर्मदापुरम् संभाग के शेष जिले होशंगाबाद और हरदा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की क्षेत्रीय अधिकारिता में सम्मिलित हैं. परिवहन तथा प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में बैतूल जिला पुनः सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है. अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २२ जून, २०२२.

डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) से उद्धरण.

द्वितीय अनुसूची

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर और देवास.
२.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, कटनी, नरसिंहपुर और डिण्डौरी.
३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	इंदौर	इंदौर, झाबुआ, धार, खरगोन (पश्चिम निमाड़), खण्डवा, (पूर्व निमाड़), अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर और अशोकनगर.
५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और सिंगरौली.
६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़ और हरदा.
७.	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह.
८.	राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.